रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 23 जनवरी, 2021 ई० (माघ 3, 1942 शक संवत्) [संख्या 4

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	157–166	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	111–120	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	31–42	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	97–139	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

05 जनवरी, 2021 ई0

सं0 958/2020-7/2/3/2012-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री अभिनव उपाध्याय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 07 जनवरी, 2020 से दिनांक 10 जनवरी, 2020 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 16 जनवरी, 2020 से दिनांक 18 जनवरी, 2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 20 जनवरी, 2020 से दिनांक 23 जनवरी, 2020 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
4	दिनांक 27 जनवरी, 2020 से दिनांक 29 जनवरी, 2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
5	दिनांक 05 फरवरी, 2020 से दिनांक 07 फरवरी, 2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
6	दिनांक 13 फरवरी, 2020 से दिनांक 14 फरवरी, 2020 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं0 1006/2020-7/1/11/2018-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 मुख्य न्यायमूर्ति श्री गोविन्द माथुर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 1050/2020-7/2/6/2020-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 1073/2020-7/2/8/2017-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र कुमार-2, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 से दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान अनुभाग]

सेवानिवृत्ति

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1607/वि0स0/अधि0/95/83–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत श्री छोटे लाल, निजी सचिव श्रेणी-4, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने के उपरान्त दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

अनुभाग-1

पदोन्नति

01 जनवरी, 2021 ई0

सं0 09/वि0स0/अधि0/6/97टी0सी0–विज्ञप्ति प्रकीर्ण संख्या 1607/वि0स0/अधि0/95/83, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 द्वारा श्री छोटे लाल, निजी सचिव, श्रेणी-4 के दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के अपरान्ह से सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त निजी सचिव श्रेणी-4 के एक पद एवं उसकी श्रृंखला में निम्नलिखित कार्मिक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है–

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती–		
1	शुकदेव प्रसाद, निजी सचिव, श्रेणी-3	निजी सचिव, श्रेणी-4	13
2	अंजू शर्मा, निजी सचिव, श्रेणी-2	निजी सचिव, श्रेणी-3	12
3	शिव नारायण, विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय)	निजी सचिव, श्रेणी-2	11
4	राजीव गोयल, निजी सचिव, श्रेणी-1	विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय)	11
5	दिलीप कुमार द्विवेदी, अपर निजी सचिव	निजी सचिव, श्रेणी-1	10

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

पदोन्नति

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 865 डीजी/छःपु0से0-2-20-522(105)/2019–श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, आई0पी0एस0-आर0आर-1995, (उ0प्र0 संवर्ग), महानिरीक्षक, सी0आर0पी0एफ0 (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 01 जनवरी, 2020 से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स, लेवल-15, रुपये 1,82,200-2,24,100) में प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-8

सेवानिवृत्ति

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 I/41863/एक-8-2020-रा0-8–चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 732/ई0-123/2018-19 (सेवानो0) दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ0प्र0 चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित अधिकारी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कालम-4 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	श्री प्रवीण कुमार जौहरी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, हाथरस।	08-03-1961	31-03-2021

अनुभाग-1

अधिसूचना

04 जनवरी, 2021 ई0

सं0 04/एक-1-2021-रा0-1–चूंकि राजस्व ग्राम सरकड़ा खास का नाम परिवर्तित कर सरकड़ा विश्नोई करने के लिय जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के पत्र संख्या 336/डीएलआरसी, दिनांक 18 जून, 2018 द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् के पत्र संख्या 1517/एक-1(2018-19) रा0सह0, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 द्वारा संस्तुत किया गया है। भूमि प्रबंधक समिति ने भी उक्त राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव पारित किया है ;

2–और चूंकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 11/2/2020-एम0 एण्ड जी0, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा जिला मुरादाबाद की तहसील ठाकुर द्वारा के राजस्व ग्राम सरकड़ा खास का नाम परिवर्तित कर सरकड़ा विश्नोई किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया है ;

3–अतएव, अब गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 130/53-पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 और संख्या 11/2/2019–एम0 एण्ड जी0, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित रूप में उक्त राजस्व ग्राम "सरकड़ा खास" का नाम परिवर्तन करती है।

4–राज्यपाल अग्रेतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय, जो उक्त राजस्व ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले से प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा–

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
सरकड़ा खास	सरकड़ा विश्नोई

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 04/I-1-2021-R-1,** dated January 04, 2021 :

No. 04/I-1-2021-R-1

Lucknow dated : *January* 04, 2021

Whereas it has been proposed by District Magistrate, Moradabad letter No. 336/DLRC., dated 18-06-2018 and recommended by Commissioner Moradabad Division and Commissioner and Secretary of Board of Revenue letter No. 1517/EK-1(2018-19) RA.SAH., dated 20-09-2019 to change the name of revenue Village Sarkada Khas to Sarkada Vishnoi. The Land Management Committee has also passed the proposal to rename the said revenue Villages.

2. And whereas the Government of India has given the No Objection Certificate in respect of the changing of the name of revenue village Sarkada Khas to Sarkada Vishnoi of Tehsil-Thakurdwara, District-Moradabad in their letter no. 11/2/2020-M & G, dated 18-11-2020.

3. Now, therefore, in pursuance of the direction of Home Ministry of Government of India letter no. 130/53-public, dated 11-09-1953 and no. 11/2/2019- M & G, dated 18-11-2020, the Governor is pleased to change the name of the said revenue village ''Sarkada Khas'' with effect from the date of publication of this notification in the Gazette as mentioned in the Schedule below.

4. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall effect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the revenue village.

SCHEDULE

Present Name of the Revenue Village	Changed Name of the Revenue Village
Sarkada Khas	Sarkada Vishnoi

By order,
RENUKA KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

सहकारिता विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1413/49-2-2020-147(3)/2015—श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 के पद के लिये चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विपिन कुमार सिंह, जो कि वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत हैं एवं उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2020 शासन में प्रस्तुत करते हुये सहकारिता विभाग में सेवा करने हेतु कार्यभार ग्रहण कराने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 3161/स्था0क/1ए, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 द्वारा श्री विपिन कुमार सिंह का प्रार्थना-पत्र संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही को शासन को प्रेषित किया गया है, के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री विपिन कुमार सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित पद पर सादृश वेतन

बैण्ड/वेतनमान रु0 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400 (छठां वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-10) में अस्थायी नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	अनुक्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	नियुक्ति का पद/स्थान
1	2	3	4	5	6
1	426848	श्री विपिन कुमार सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	ग्राम व पोस्ट नरायनपुर, जिला देवरिया, उ0प्र0-274203, मो0 नं0-9125062010	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, लखनऊ (मुख्यालय)।

2–उपरोक्त अभ्यर्थी उ0प्र0 सहकारी सेवा नियमावली, 1979 के नियम 22(1) के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

3–जब उक्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे तभी उन्हें भविश्य में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के पद पर स्वतंत्र प्रभार यथासमय दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

4–उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

5–उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपनी सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र व अन्य अभिलेख आदि लेकर आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष योगदान करने हु तत्काल उपस्थित हों तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के माध्यम से उपलब्ध करायें।

6–उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 15 दिन के अन्दर निर्देशित स्थान पर उपस्थित नहीं होते अथवा उनसे इस सम्बन्ध में समुचित कारण संहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका उक्त पद पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7–भविष्य में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आने पर उनकी सेवा बिना किसी सूचना के तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं इनके विरुद्ध इस हेतु विधिक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।

8–उपर्युक्त अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि सहकारिता विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करते हुये सहकारिता विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा तथा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की गोपनीय प्रविष्टियां विभाग को प्रस्तुत की जायेगी। यदि इनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से इनका अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
एम0वी0एस0 रामी रेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

30 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 684/43-1-2020-25(1)/89–उ0प्र0 कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली, 1990 के नियम-5(1)(क) के अधीन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुति के आधार पर वेतन बैण्ड 9,300-34,800, ग्रेड वेतन रु0 4,600, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु0 44,900-1,42,400, लेवल-7 में निरीक्षक, राजकीय कार्यालय के रिक्त पद पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने तथा 06 सप्ताह के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लये मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज के कार्यालय से सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रशिक्षणोंपरान्त नवनियुक्त निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सम्मुख अंकित तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा–

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम/गृह जनपद	तैनाती का स्थान
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती–	
1	तनुज कुमार, आत्मज स्व0 बृजभूषण शर्मा, मेरठ	सहारनपुर
2	बाल कृष्ण रावत आत्मज श्री मुन्ना लाल रावत, लखनऊ	कानपुर
3	राम कलप यादव, आत्मज स्व0 माताफेर यादव, सुल्तानपुर	लखनऊ
4	प्रज्ञा सिंह पत्नी श्री अरविन्द कुमार सिंह, वाराणसी	आजमगढ़
5	हुकुम सिंह, पुत्र श्री राम प्रताप सिंह, इटावा	झांसी

(1) नियुक्त किये गये उक्त निरीक्षकों को उ0प्र0 कार्यालय निरीक्षण सेवा के कर्मचारियों की भांति समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अनुसांगिक भत्ते निर्धारित दरों के अनुसार देय होंगे।

(2) नियुक्त किये गये उक्त निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपनी तैनाती के स्थान पर 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) नियुक्त किये गये उक्त निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

2–उक्त नवनियुक्त निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता यथा नियम बाद में निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1823/81-1-2020-52/2011–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1710/81-1-2020-52/2011, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 के द्वारा श्री सुनील पाण्डेय, भा0व0से0 (उ0प्र0-

1984) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को, डा0 राजीव कुमार गर्ग, भा0व0से0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष, दिनांक 01 जनवरी, 2021 के पूर्वान्ह से प्रधान मुख्य वन संरक्षक बतौर हेड आफ फारेस्ट फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2—उक्त के सम्बन्ध में डा0 राजीव कुमार गर्ग, भा0व0से0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक बतौर हेड आफ फारेस्ट फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ के पद का कार्यभार आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 अपरान्ह से श्री सुनील पाण्डेय, भा0व0से0 को हस्तान्तरित करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1470/सोलह-2-2020—प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण (पेट्रो विशिष्टता के साथ) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, श्रीमती कंचन कुशवाहा पुत्री श्री राज कुमार कुशवाहा, म0नं0 117/एल/171, नवीन नगर, काकादेव, कानपुर, उ0प्र0 208025 को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण (पेट्रो विशिष्टता के साथ) के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें राजकीय पालीटेक्निक, कोटवन, मथुरा में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्रीमती कंचन कुशवाहा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—श्रीमती कंचन कुशवाहा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्रीमती कंचन कुशवाहा को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—श्रीमती कंचन कुशवाहा की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्रीमती कंचन कुशवाहा को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

28 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1218/सोलह-2-2020—प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक में प्रवक्ता टेक्सटाइल केमेस्ट्री के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता टेक्सटाइल

केमेस्ट्री के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें निम्नलिखित तालिका के कालम-4 में उल्लिखित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	लोक सेवा आयोग क्रमांक	नाम/पिता का नाम	स्थाई पता	तैनाती हेतु संस्था का नाम
1	2	3	4	5
1	1	श्री संभास्कर सिंह पुत्र स्व0 शिव शंभू सिंह	वार्ड नं0-20, म0नं0-47, सदर मार्केट, नियर-एल0आई0सी0 बिल्डिंग, कर्बी चित्रकूट, उ0प्र0-210205	राजकीय पालीटेक्निक, डिबाई, बुलन्दशहर।

2–संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3–संबंधित अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्त अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4–संबंधित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5–उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संबंधित अभ्यर्थी 02 वर्ष के विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2579/12-1-2020-112/2020–डा0 ओमवीर सिंह, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564(एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

डा0 ओमवीर सिंह के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2580/12-1-2020-112/2020—श्री विवेक कुमार सिंह, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564(एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

श्री विवेक कुमार सिंह के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय-ज्ञाप

04 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1276/71-3-2020-68/2018—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या मुमस/306/चौंतीस/मु0मं0घो0प्र0/2020/Y.A.N.-7/2020, दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को जनपद देवरिया में निम्नवत् घोषणा की गयी है—

क्र0 सं0	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
1	YAN-07/2020, (क्र0 सं0 GH11Y001208)	जनपद—देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का नामकरण महर्षि देवरहा बाबा के नाम पर किया जायेगा।

2—उक्त परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, देवरिया के पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 द्वारा आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। अतः उक्त घोषणा के अनुपालन एवं जिलाधिकारी, देवरिया की संस्तुति के दृष्टिगत जनपद—देवरिया में स्थित मेडिकल कालेज "महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया" के नाम से जाना जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

आज्ञा से,
डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—43 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 जनवरी, 2021 ई० (माघ 3, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

November 10, 2020

No. 2155/Admin. (Services)-2020–Sri Santosh Rai, District & Sessions Judge, Baghpat to be District & Sessions Judge Sultanpur.

No. 2156/Admin. (Services)-2020–Sri Umesh Kumar Sharma, District & Sessions Judge, Sultanpur to be District & Sessions Judge Baghpat.

November 11, 2020

No. 2157/Admin. (Services)-2020–Sri Devendra Kumar-II, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Allahabad to be Civil Judge, Senior Division, Sonbhadra in the vacant court.

November 18, 2020

No. 2158/Admin. (Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. No. 1600/VII-Nyay-1-2020-08(Pra)/2008 dated November 17, 2020, Sri Manmeet Singh Suri, Additional District & Sessions Judge, Basti is appointed/posted as Additional Director (Training), Institute of Judicial Training & Research, U.P., Lucknow on deputation basis.

No. 2159/Admin. (Services)-2020–Sri Chandra Bhan Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad *vice* Sri Rakesh Tripathi.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghaziabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2160/Admin. (Services)-2020–Sri Rakesh Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

November 20, 2020

No. 2161/Admin. (Services)-2020–Sri Ran Vijay Pratap Singh, Joint Registrar (Judicial) (Selection & Appointment), High Court of Judicature at Allahabad to be Joint Registrar (Judicial) (Services), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2162/Admin. (Services)-2020–Sri Ashok Kumar Srivastava, Additional District & Sessions

Judge, Allahabad to be Joint Registrar (Judicial) (Selection & Appointment), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2163/Admin. (Services)-2020–Sri Neel Kant Mani Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Joint Registrar (Judicial) (Litigation), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2164/Admin. (Services)-2020–Sri Rohit Agrawal, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Joint Registrar (Judicial) (Budget), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2165/Admin. (Services)-2020–Sri Divaker Dwivedi, Legal Adviser, Excise Commissioner, Uttar Pradesh, Allahabad to be Joint Registrar (Judicial) (SCMS), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2166/Admin. (Services)-2020–Sri Abhishek Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Joint Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2167/Admin. (Services)-2020–Sri Ravindra Kumar Dwivedi, Joint Registrar (Judicial) (Criminal), High Court of Judicature at Allahabad to be Registrar (Judicial) (Criminal), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2168/Admin. (Services)-2020–Sri Baljor Singh, Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bijnor *vice* Sri Brijesh Kumar Sharma.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Bijnor against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2169/Admin. (Services)-2020–Sri Brijesh Kumar Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Registrar (Judicial), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2170/Admin. (Services)-2020–Smt. Mridula Mishra, Joint Registrar (Judicial) (Enquiry), High Court of Judicature at Allahabad to be Registrar (Judicial) (Enquiry), High Court of Judicature at Allahabad.

No. 2171/Admin. (Services)-2020–Sri Sanjay Kumar Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Joint Registrar (Judicial) (Nazarat), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

No. 2172/Admin. (Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. No. 800/Do-4-2020-12(1)/ 1998 T.C.-III dated November 20, 2020, Sri Atul Singh, Additional District & Sessions Judge, Agra is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of U.P., Lucknow.

No. 2173/Admin. (Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. No. 800/Do-4-2020-12(1)/ 1998 T.C.-III dated November 20, 2020, Sri Nikunj Mittal, Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, U.P., Lucknow is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Nyay Vibhag), Government of U.P., Lucknow.

No. 2174/Admin. (Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. No. 800/Do-4-2020-12(1)/ 1998 T.C.-III dated November 20, 2020, Sushri Poonam Trivedi, Additional District & Sessions Judge, Unnao is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Sansadiya Karya Vibhag), Government of U.P., Lucknow.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

09 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 601/आठ/एल0ए0सी0-पुर्न0(2020-21)–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2), राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अन्नावि दिनेशकुमार,

जिलाधिकारी ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सिलावन में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ :

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	गांव गांवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गांव सभा की भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा सं0	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	ललितपुर	बानपुर महरौनी	सिलावन	706	0.250	श्रेणी मंगल श्रेणी परती 6-2-युवक दल से 5-1-नवीन	1115	0.250	श्रेणी 5-1-नवीन परती से श्रेणी 6-2-युवक मंगल दल

सं0 600 / आठ / एल0ए0सी0-पुर्न0(2020-21)–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2), राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11 / 2020 / 689 / एक-1- 2020-20(5)2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020- 20(5) / 2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम भैरा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ :

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	गांव गांवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गांव सभा की भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा सं0	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	ललितपुर	बानपुर महरौनी	भैरा	1250	0.161	श्रेणी मंगल श्रेणी परती 6-2-युवक दल से 5-1-नवीन	1037 1038 / 1322 मि0	0.151 0.010 0.161	श्रेणी 5-1-नवीन परती से श्रेणी 6-2-युवक मंगल दल

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञा

24 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1025/सात-डी0एल0आर0सी0/स्वामित्व योजना/2020—उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-14 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 434/एक-14/2020 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के द्वारा जनपद मेरठ के 672 ग्राम, ग्राम आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना के दिनांक से भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये हैं।

अतः मैं, के0 बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ, राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2020 के क्रम में उक्त अधिसूचना में प्रकाशित ग्रामों में से निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में अधिसूचना के दिनांक से ग्राम आबादी क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया सम्पादित किये जाने के आदेश देता हूँ—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	मेरठ	मेरठ	रोहटा	नारंगपुर
2	मेरठ	मेरठ	रोहटा	रासना मौ0 अकबरपुर
3	मेरठ	मेरठ	रोहटा	कल्याणपुर
4	मेरठ	मेरठ	रोहटा	फतहपुर
5	मेरठ	मेरठ	रोहटा	बोहला
6	मेरठ	मेरठ	रोहटा	दिलावरा
7	मेरठ	मेरठ	रोहटा	जंगेठी
8	मेरठ	मेरठ	जानी	नंगला कुम्भा
9	मेरठ	मेरठ	जानी	बहरामपुर खास
10	मेरठ	मेरठ	जानी	खानपुर
11	मेरठ	मेरठ	जानी	ढडरा
12	मेरठ	मेरठ	जानी	टीकरी
13	मेरठ	मेरठ	मेरठ	सतवाई
14	मेरठ	मेरठ	मेरठ	जलालपुर
15	मेरठ	मेरठ	मेरठ	नरहाडा

1	2	3	4	5
16	मेरठ	मेरठ	मेरठ	इटायरा
17	मेरठ	मेरठ	मेरठ	बहादरपुर
18	मेरठ	मेरठ	मेरठ	कायस्थ गांवडी
19	मेरठ	मेरठ	मेरठ	डूंगरावली
20	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	अतराडा
21	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	उलधन
22	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	पांची
23	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	नालपुर
24	मेरठ	मेरठ	खरखौदा	अजराडा
25	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	ज्ञानपुर
26	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	कुनकुरा
27	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	सधारणपुर
28	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	बहचौला
29	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	मऊखास
30	मेरठ	मेरठ	रजपुरा	मुरलीपुर फूल
31	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	बना
32	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	भगवानपुर
33	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	नंगली ईसा
34	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	दूधली बांगर
35	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	फाजलपुर
36	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	ऐदलपुर
37	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	हटूपुरा
38	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	पहाडपुर राम
39	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	जलालपुर मकबूलपुर
40	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	गजरौला
41	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	हिमांयूपुर
42	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	नंगला चांद
43	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	बामनौली
44	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	सीना
45	मेरठ	मवाना	मवाना कला	मीरपुर
46	मेरठ	मवाना	मवाना कला	कोहला
47	मेरठ	मवाना	मवाना कला	गुडम्ब
48	मेरठ	मवाना	मवाना कला	नंगला एजदी
49	मेरठ	मवाना	मवाना कला	कुण्डा
50	मेरठ	मवाना	मवाना कला	पहाड़पुर

1	2	3	4	5
51	मेरठ	मवाना	मवाना कला	खेडकी जदीद
52	मेरठ	मवाना	मवाना कला	तिगरी
53	मेरठ	मवाना	मवाना कला	सैदीपुर सेठ
54	मेरठ	मवाना	माछरा	शहजादपुर
55	मेरठ	मवाना	माछरा	सादुल्लापुर बांगर
56	मेरठ	मवाना	माछरा	अम्हैडा सानी
57	मेरठ	मवाना	माछरा	अमरपुर मजरा खन्द्रावली
58	मेरठ	मवाना	माछरा	मुरादगांवपुर उर्फ कुंआ खेडा
59	मेरठ	मवाना	माछरा	सिंहपुर
60	मेरठ	मवाना	माछरा	लालपुर
61	मेरठ	मवाना	माछरा	मुबारिकपुर
62	मेरठ	मवाना	माछरा	शाहकुलीपुर
63	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	गेसूपुर जनूबी
64	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	शाहीपुर
65	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	महमूदपुर गर्वी
66	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	शिवपुरी
67	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	अमर सिंहपुर
68	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	नीमका
69	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	मुजफ्फपुर खुंटी
70	मेरठ	मवाना	परीक्षितगढ़	सोना
71	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	पिठलोकर
72	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	मुल्हैडा
73	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	छुर
74	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	कालन्दी
75	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	कालन्द
76	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	डाहर
77	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	रिठाली
78	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	गोटका
79	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	जसड़ सुल्ताननगर
80	मेरठ	सरधना	सरूरपुर	बपारसी
81	मेरठ	सरधना	सरधना	कैली
82	मेरठ	सरधना	सरधना	दादरी
83	मेरठ	सरधना	सरधना	नंगला सानी
84	मेरठ	सरधना	सरधना	शाहपुर पीरपुर
85	मेरठ	सरधना	सरधना	मण्डौरा
86	मेरठ	सरधना	सरधना	नंगली सधारन
87	मेरठ	सरधना	सरधना	नंगला राठी

1	2	3	4	5
88	मेरठ	सरधना	सरधना	नंगली आजड सलेमपुर
89	मेरठ	सरधना	सरधना	शाहपुर जदीद
90	मेरठ	सरधना	सरधना	मोहिनीपुर
91	मेरठ	सरधना	दौराला	चरला
92	मेरठ	सरधना	दौराला	निहोरी
93	मेरठ	सरधना	दौराला	रसूलपुर मुरादनगर
94	मेरठ	सरधना	दौराला	महलका
95	मेरठ	सरधना	दौराला	लोहिया
96	मेरठ	सरधना	दौराला	वलीदपुर
97	मेरठ	सरधना	दौराला	समसपुर
98	मेरठ	सरधना	दौराला	सरसवा
99	मेरठ	सरधना	दौराला	खेड़ी टप्पा लावड़
100	मेरठ	सरधना	दौराला	अझौता

के0 बालाजी,
जिलाधिकारी, मेरठ।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञायें

24 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 715/सात-डी0एल0आर0सी0–गा0बाद/2020–उप–जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 333/र0का0-मोदीनगर/पुनर्ग्रहण-2020 दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 744/एक–1/2016–20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक–1–2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अजय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी गाजियाबाद ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित श्रेणी 6–1 के अन्तर्गत नाली खाते में दर्ज गाटा संख्या 18 रकबा 0.0008 हे0 व श्रेणी 6–2 के अन्तर्गत चकमार्ग खाते में दर्ज गाटा संख्या 19 रकबा 0.0010 हे0 कुल 02 किता कुल रकबा 0.1008 हे0 के बदले उसी प्रयोजन हेतु ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित नवीन परती खाते में दर्ज गाटा संख्या 270 रकबा 0.0018 हे0 जो श्रेणी 5–1 के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करते हुए प्रस्तावित भूमि के सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उक्त संहिता की धारा 59 की उपधारा 4(ग) प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्रेणी परिवर्तित की गयी भूमि गाटा संख्या 18 रकबा 0.0008 हे0 व गाटा संख्या 19 रकबा 0.0010 हे0 कुल 02 किता कुल रकबा 0.0018 हे0 स्थित ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे परियोजना हेतु पुनर्ग्रहीत करते हुए लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूँ–

1–ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित ग्राम सभा की गाटा संख्या 18 रकबा 0.0008 हे0 व गाटा संख्या 19 रकबा 0.0010 हे0 कुल 02 किता कुल रकबा 0.0018 हे0 भूमि का सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 745/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(3) के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकक्न 6,750.00 रुपये (छः हजार सात सौ पचास रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2–शासनादेश संख्या 744/एक–1/2016–20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर 4(1)(ग) के अनुसार भूमि राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक में लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियां–08–मालिकाना राजस्व–806–प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कराया जायेगा। तद्नुसार भूमि का मूल्य अंकन 1,08,000.00 रुपये तथा पूँजीकृत मूल्य 13.00 रुपये कुल अंकन 1,08,013 रुपये (एक लाख आठ हजार तेरह रुपये) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त ही कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।

3–उप जिलाधिकारी मोदीनगर द्वारा ग्राम पलौता, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भूमि को नाली, चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

4–पुनर्ग्रहीत की जा रही भूमि का उपयोग, निर्धारित उपयोग से इत्तर नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो शर्तों के उल्लंघन की दशा में भूमि का पुनर्ग्रहण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अजय शंकर पाण्डेय,
जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1440(iv)/डी0एल0आर0सी0/2020–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 68/3–2(जी)–1979–रा–1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी अलीगढ़, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ–6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम क्वार्सी में थाना महुआखेड़ा के आवासीय भवनों निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	कोल	क्वार्सी	303 मि0	हेक्टेयर 0.360	6–4 ऊसर	थाना महुआखेड़ा के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1438(iv)/डी0एल0आर0सी0/2020—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 68/3—2(जी)—1979—रा—1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक—1—2016—20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी अलीगढ़, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के ग्राम भीलपुर में नगर पंचायत, इगलास (अलीगढ़) के कूड़ा करकट डम्पिंग ग्राउण्ड की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या 818/नौ—5—19—56सा/2018 नगर विकास अनुभाग—5 लखनऊ दिनांक 7 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	इगलास	गोरई	भीलपुर	59	हेक्टेयर 0.367	5-1 नवीन परती	कूड़ा करकट डम्पिंग ग्राउण्ड की स्थापना हेतु। नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1441(iv)/डी0एल0आर0सी0/2020—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 68/3—2(जी)—1979—रा—1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक—1—2016—20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी अलीगढ़, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ—6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम अलहदादपुर में फायर बिग्रेड स्टेशन की स्थापना हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	कोल	अलहदादपुर	688	हेक्टेयर 0.460	6—4 ऊसर	फायर बिग्रेड स्टेशन की स्थापना हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

20 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3295/जी0-361/60 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम कामदेवपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

07 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 3435/जी0-175/66 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर के ग्राम केड़वरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 3488/जी0-361/60 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम बढ़ौना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

06 जनवरी, 2020 ई0

सं0 114/जी0-361/60 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम सीठापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

19 सितम्बर, 2018 ई0

सं0 5512/जी0-361/60 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम,1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0-23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, शारदा सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम पचोखर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

शारदा सिंह,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–43 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 जनवरी, 2021 ई० (माघ 3, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

07 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 305/तेईस-46/2015-16–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) में दी गयी व्यवस्थानुसार जिला पंचायत, बस्ती द्वारा जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी स्थान अथवा सार्वजनिक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि संख्या 2559-62/तेइस-07/2010-10 उ0प्र0 गजट, 18 अगस्त, 2012 ई0 में बनायी गयी थी जिसमें शासन के आदेश संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के क्रम में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लाइसेन्स फीस की दरों में एकरूपता लाये जाने विषयक निर्गत सूची के अनुसार सूची के कालम 04 में अंकित निम्नानुसार संशोधित दर लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत बस्ती के बैठक दिनांक 15 जून, 2019 प्रस्ताव संख्या 6/28 द्वारा पारित किया गया है–

संशोधित प्रस्ताव/उपविधि

मिल/कारखाना/फैक्ट्री के उप विधियों की संशोधित दरों का विवरण

क्र0 सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	पुरानी दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	चीनी मिल	10,000.00	50,000.00
2	क्रेशर हाइड्रोलिक सल्फीटेंशन	–	4,000.00
3	क्रेशर नान हाइड्रोलिक सल्फीटेंशन	–	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाइड्रोलिक नॉन सल्फीटेंशन	–	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	500	400.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	—	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	—	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	—	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	1,000.00	2,500.00
10	एक्स्पेलर	250.00	500.00
11	आरा मशीन	1,000.00	2,000.00
12	खराद मशीन	—	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	—	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	2,000.00	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	2,000.00	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	—	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	1,000.00	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	—	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	—	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	—	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक टन क्षमता तक)	—	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	—	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	—	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	—	10,000.00
27	चिलिंग प्लांट	—	8,000.00
28	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (दो इंच मोटाई तक)	—	25,000.00
29	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (दो इंच मोटाई से अधिक)	—	50,000.00
30	मशीन या यन्त्र बनाने का कारखाना	—	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	1,000.00	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	—	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	—	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लान्ट	—	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुए बनाने का कारखाना	—	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	—	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	—	7,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	—	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	—	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइन्ड आयल बनाने का कारखाना	—	15,000.00
41	शराब स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	—	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यन्त्र बनाने का कारखाना	—	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	—	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यन्त्र बनाने का कारखाना	—	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	—	4,000.00
46	प्लास्टिक का पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	—	7,000.00
47	बिजली का सामान बनाने का कारखाना	—	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (छोटा)	—	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (बड़ा)	—	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	—	10,000.00
51	फ्लोर मिल	1,000.00	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00	5,000.00
53	रिईनफोर्ड, सीमेन्ट, कंक्रीट आदि के हयूम पाईप बनाने का कारखाना	—	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	—	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	—	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	—	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	—	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	—	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	—	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	—	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
62	प्लाईवुड का माईका बनाने का कारखाना	—	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	—	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	—	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना	—	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग का कारखाना	—	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	—	8,000.00
71	वेल्डिंग रॉड्स बनाने का कारखाना	—	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	—	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	—	6,000.00
74	स्टील आलमारी बक्से, मेज आदि का कारखाना	—	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	—	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	—	4,000'00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	—	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	—	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	—	2,000.00
80	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	—	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	—	7,000.00
83	रबड़ के टायर-ट्यूब बनाने का कारखाना	—	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	—	4,000.00
85	त्रिपाल बनाने का कारखाना	—	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	—	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	—	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	—	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	—	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना	—	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	—	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	—	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	—	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	—	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	—	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	—	4,000.00
98	आटो पाटर्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00
99	निकिल पालिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	—	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	—	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00
102	हड्डी मिल	—	25,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
103	सरेश मिल	—	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	—	4,000.00
105	डीजल मिल	—	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लांट	—	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	—	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या ऑफसेट प्रेस	—	2,500.00
109	सिनेमा हाल	—	4,000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	—	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	—	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेन्ट्स का कारखाना	—	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/ इण्टीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	—	1,00,000.00
116	ट्रान्सफारमर फैक्ट्री	—	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000.00
118	एयर कन्डीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान का कारखाना	—	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
121	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	—	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	—	25,000.00
123	जैविक कारखाना	—	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये तक)	5005.00	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	5005.00	15,000.00
126	स्टोन क्रेसर	—	15,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेन्स फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है–

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क
		रु0
1	सूक्षम/कुटीर उद्योग (Micro) (लागत 25 लाख)	1,000.00 से 5,000.00 तक
2	लघु उद्योग (Small) (लागत 25 लाख से 5 करोड़)	6,000.00 से 20,000.00 तक
3	मध्यम उद्योग (Medium) (लागत 5 करोड से 10 करोड़)	21,000.00 से 50,000.00 तक
4	भारी उद्याोग (Heavy) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00 तक

उपरोक्त प्रस्तुत वितरण में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद के जिला उद्योग विभाग से अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक जनपद में लाइसेंस की दरों में एकरूपता बनी रहे।

उक्त उपविधि में विलम्ब शुल्क व दण्ड का प्राविधान पूर्व में लागू उपविधि के अनुसार यथावत रहेगा।

अनिल कुमार सागर,
आयुक्त,
बस्ती मण्डल, बस्ती।

18 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 132/23/2020-21 एम0ए0-II–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 239 (2) (ड) के अन्तर्गत जनपद अमरोहा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित मिलों/कारखानों या फैक्ट्रियों आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि के उपनियम-7 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है जिसका प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या 843/उपविधि/जि0पं0अ0/2020 दिनांक 07 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा कर दी गयी है इनका प्रकाशन अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रकाशित किये जा रहे हैं। ये संशोधित उपनियम उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे–

मिल/कारखानों या फैक्ट्रियो आदि की संशोधित उपविधि

प्रचलित उपनियम–7

आटा चक्की से भिन्न मिलों/कारखानों या फैक्ट्रियों के लिए निम्नवत् शुल्क अदा करने पर ही लाईसेंस जारी किये जायेंगे।

संशोधित उपनियम–7

मिलों/कारखानों या फैक्ट्रियों आदि के लिए निम्नवत् शुल्क प्रतिवर्ष जमा करने पर ही लाईसेंस जारी किये जायेंगे।

क्र0 सं0	मद/व्यवसाय का नाम	प्रचलित दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	चीनी मिल	75,000.00	75,000.00
2	क्रेशर हाइड्रोलिक सल्फीटेंशन	5,000.00	5,000.00
3	क्रेशर नान हाइड्रोलिक सल्फीटेंशन	3,000.00	4,000.00
4	नॉन हाइड्रोलिक नॉन सल्फीटेंशन (गुड़ क्रेशर)	3,000.00	3,000.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	300.00	400.00
6	खाण्ड मशीन	400.00	1,000.00
7	हस्त चालित खाण्ड मशीन	–	200.00
8	शक्ति द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टेलाइजर	200.00	300.00
9	आटा चक्की	200.00	200.00
10	धान कूटने की मशीन (राईस सेलर)	2,000.00	2,500.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
11	स्टोन क्रेशन/पत्थर कूटने की मशीन	10,000.00	15,000.00
12	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	—	5,000.00
13	शीशा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
14	धान कूटने की मिल (राइस मिल)	4,000.00	4,000.00
15	सेलर छोटा	500.00	500.00
16	धान मशीन	200.00	200.00
17	तेल निकालने का कोल्हू	150.00	150.00
18	एक्सपेलर	300.00	500.00
19	रूई अथवा ऊन धुनने की मशीन	150.00	150.00
20	पुराने एवं नये कपड़ो की कतरन से रूई बनाने का कारखाना प्रत्येक मशीन	500.00	500.00
21	आरा मशीन	2,000.00	2,000.00
22	खैरात मशीन	500.00	1,000.00
23	पावर लूम (प्रत्येक)	—	1,000.00
24	बरमा मशीन	100.00	100.00
25	बेल्डिंग मशीन	200.00	200.00
26	शेपर मशीन	200.00	200.00
27	हवा मशीन	100.00	100.00
28	कीटनाशक जैविक कारखाना	—	5,000.00
29	रसायन मशीन	150.00	150.00
30	चमड़ा टेनरी का कारखाना	4,000.00	25,000.00
31	कपड़ा बनाने की खड्डी (प्रत्येक)	200.00	200.00
32	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
33	सरिया बनाने का कारखाना	10,000.00	15,000.00
34	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	10,000.00	10,000.00
35	आईसक्रीम का कारखाना	1,000.00	1,000.00
36	बर्फ बनाने का कारखाना	—	4,000.00
37	गत्ता अथवा कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	10,000.00	10,000.00
38	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (10 टन से ऊपर 20 टन की क्षमता तक)	15,000.00	15,000.00
39	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (20 टन से ऊपर 30 टन की क्षमता तक)	20,000.00	30,000.00
40	गत्ता एवं कागज बनाने का कारखाना (30 टन से अधिक)	50,000.00	50,000.00
41	विडियो सिनेमा हाल	—	2,500.00
42	मुर्गी/मुर्गा दाना का कारखाना/फैक्ट्री	—	3,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
43	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000.00
44	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000.00
45	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेउ फूल प्रोसेसिंग प्लाण्ट	—	1,00,000.00
46	ट्रांस्फार्मर फैक्ट्री	—	20,000.00
47	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000.00
48	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000.00
49	पिपर मिण्ट बनाने का कारखाना	—	2,000.00
50	पेपर रोल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
51	पेपर कोन बनाने का कारखाना	—	4,000.00
52	दूध का पाउडर अथवा दुध से अन्य सामान बनाने का कारखाना	20,000.00	20,000.00
53	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई तक)	5,000.00	25,000.00
54	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई से अधिक)	—	50,000.00
55	मशीन के पुर्जे की कांटे एवं नट बोल्ट का कारखाना	5,000.00	7,000.00
56	फल, सब्जी, गुड़ व खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोर)	10,000.00	15,000.00
57	पत्थर तथा ईंट की रोड़ी एवं सुर्खी बनाने का कारखाना	3,000.00	3,000.00
58	चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना	2,000.00	7,000.00
59	रबड़ की वस्तु बनाने का कारखाना	2,000.00	2,000.00
60	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	5,000.00	8,000.00
61	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशे, तांबे, टीन की प्रत्येक वस्तुएं बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
62	वनस्पति घी बनाने का कारखाना	10,000.00	15,000.00
63	शराब, स्प्रिट, एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00	50,000.00
64	कृषि सम्बन्धित यंत्र बनाने का कारखाना	2,500.00	4,000.00
65	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
66	फर्टिलाईजर कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	7,500.00	10,000.00
67	खाण्ड एवं गुड़ के यंत्रों का कारखाना	2,000.00	5,000.00
68	प्लास्टिक दाना या फिल्म बनाने का कारखाना	2,000.00	4,000.00
69	प्लास्टिक के पाइप, टंकी बनाने का कारखाना	4,000.00	7,000.00
70	कोयले की राख से वाई प्रोडक्ट या टिकली बनाने का कारखाना	1,500.00	1,500.00
71	बिजली का सामान बनाने का कारखाना	2,000.00	4,000.00
72	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई, फिनिशिंग एवं कपड़ा, कम्बल बनाने का कारखाना	35,000.00	35,000.00
73	पिक्चर ट्युब बनाने का कारखाना	—	5,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
74	हाट मिक्स प्लांट	—	10,000.00
75	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट मशीन	—	2,500.00
76	सिनेमा हाल	—	4,000'00
77	गंधक, फिटकरी या कलमी शोरा बनाने का कारखाना	2,000.00	2,000.00
78	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
79	दाल मिल	10,000.00	10,000.00
80	फ्लोर मिल	10,000.00	10,000.00
81	रिईनफोर्स्ड सीमेन्ट कंकरीट या पाइप बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
82	टेलीविजन बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
83	माचिस बनाने का कारखाना	2,000.00	10,000.00
84	बटन बनाने का कारखाना	1,000.00	6,000.00
85	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	500.00	3,000.00
86	प्लाइवुड एवं माइका बनाने का कारखाना	3,000.00	10,000.00
87	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	5,000.00	50,000.00
88	दवाई बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
89	डबल रोटी, बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
90	बेकरी (छोटी) बनाने का कारखाना	500.00	500.00
91	गैस बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
92	गैस सिलेण्डर बनाने का कारखाना	5,000.00	8,000.00
93	बेल्डिंग राड बनाने का कारखाना	2,000.00	6,000.00
94	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	—	6,000.00
95	ढलाई का कारखाना कोयले द्वारा	2,000.00	6,000.00
96	स्टील आलमारी, बक्से, फर्नीचर बनाने का कारखाना	5,000.00	6,000.00
97	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
98	बोगी बनाने का कारखाना	2,000.00	2,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
99	चमड़े के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00	4,000.00
100	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	3,000.00	7,000.00
101	विनियर एण्ड शॉ मिल	—	7,000.00
102	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	—	15,000.00
103	साकिट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
104	लेमिनेशन का कारखाना	—	5,000.00
105	केमिकल बनाने का कारखाना	—	8,000.00
106	धागा बनाने का कारखाना	—	4,000.00
107	धागा डबलिंग का कारखाना	—	7,000.00
108	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	—	2,000.00
109	निनलिप्लान्ट (निकिल प्लान्ट	4,000.00	5,000.00
110	रांगा बनाने का कारखाना	—	5,000.00
111	साबुन आदि बनाने का कारखाना	1,500.00	2,000.00
112	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	—	7,000.00
113	चिलिंग प्लान्ट/दूध एकत्रित करना, आपूर्ति करना	5,000.00	8,000.00
114	पनीर बनाने का लघु उद्योग	2,000.00	2,000.00
115	दूध से क्रीम निकालने की प्रत्येक मशीन	200.00	200.00
116	दूध पैकेजिंग का कारखाना	—	6,000.00
117	सर्व व ड्राइन बनाने का कारखाना	1,000.00	1,000.00
118	टीन का सामान बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
119	गम टेप बनाने का कारखाना	—	4,000.00
120	रबड़ टायर, ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
121	टायर रिट्रेडिंग	—	4,000.00
122	कांच के सामान बनाने का कारखाना	1,500.00	1,500.00
123	आटोमोटर्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
124	हड्डी मिल	20,000.00	25,000.00
125	सरेस मिल	—	5,000.00
126	पेट्रोल पम्प	3,000.00	4,000.00
127	डीजल पम्प	3,000.00	5,000.00
128	पेट्रोल व डीजल पम्प / सी0एन0जी0 / एल0पी0जी0 / पी0एन0जी0 / अन्य गैस पम्प आदि	5,000.00	5,000.00
129	गैस बाटलिंग प्लान्ट	—	25,000.00
130	वायो डीजल	3,000.00	3,000.00
131	तार बनाने का कारखाना	—	15,000.00
132	मैंथा टंकी (प्रत्येक टंकी)	300.00	300.00
133	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	—	1,00,000.00
134	तार की जाली बनाने का कारखाना	—	3,500.00
135	कुटीर उद्योग (25 लाख तक की लागत वाला)	2,000.00	5,000.00
136	लालटेन बनाने का कारखाना	—	3,000.00
137	रेगमाल बनाने का कारखाना	—	4,000.00
138	लघु उद्योग (25 लाख से 5 करोड़ तक)	5,000.00	20,000.00
139	बैट्री बनाने का कारखाना	—	5,000.00
140	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	—	5,000.00
141	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	—	50,000.00
142	रेडीमेड् (गारमेन्ट उद्योग)	5,000.00	15,000.00
143	रंग बनाने का कारखाना	—	5,000.00
144	पट्टा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
145	कमानी बनाने का कारखाना	—	7,000.00
146	तिरपाल बनाने का कारखाना	—	10,000.00
147	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	—'	10,000.00
148	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	—	5,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
149	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	—	3,000.00
150	गैस बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
151	गैस सिलेन्डर बनाने का कारखाना	5,000.00	8,000.00
152	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	—	5,000.00
153	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	—	50,000.00
154	भारी उद्योग (10 करोड़ से अधिक)	—	1,00,000.00
155	खाद्य पदार्थों के भण्डारण हेतु गोदाम	10,000.00	10,000.00
156	टाईल्स फैक्ट्री (सी0सी0 टाईल्स)	5,000.00	5,000.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत अमरोहा यह निर्देश दे सकती है कि जो व्यक्ति/संस्था/फर्म उसका उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रुपये 1,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धी के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 50.00 तक हाो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

पी0एस0यू0पी0—43 हिन्दी गजट—भाग 3—2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 जनवरी, 2021 ई० (माघ 3, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, लखनऊ

01 दिसम्बर, 2020 ई0

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541(41, 48), 542, 543 के अंतर्गत प्रस्तावित उपविधि, 2018 का पांडुलेख तैयार कर प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स, अमर उजाला व दैनिक जागरण में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराते हुये आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुये मा0 सदन नगर निगम, लखनऊ द्वारा पारित संकल्प संख्या 94, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार नगर निगम अधिनियम की धारा 544 के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2018 नियमा अनुसार प्रकाशित किया जाता है–

'लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2018'

1–**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–(1) यह उपविधि 'लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2018' कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम लखनऊ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिषायें**–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

[एक] ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है;

[दो] ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है;

[तीन] ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित

करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो;

[चार] ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

[पांच] ''पताका'' (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं;

[छः] ''पताका विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो;

[सात] ''समिति'' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है;

[आठ] ''निगम'' का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम से है;

[नौ] ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं;

[दस] ''गैन्ट्री विज्ञापन'' का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है;

[ग्यारह] ''भू-विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

[बारह] ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

[तेरह] ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो;

[चौदह] ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

[पन्द्रह] ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

[सोलह] ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

[सत्रह] ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है;

[अट्ठारह] ''बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है;

[उन्नीस] ''पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन'' का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है;

[बीस] ''जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है;

[इक्कीस] ''ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए;

[बाइस] ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो;

[तेइस] ''अस्थायी विज्ञापन'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

[चौबीस] ''अनुज्ञा शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 541 की उपधारा (48) के निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है;

[पच्चीस] ''ट्री गार्ड विज्ञापन'' का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है;

[छब्बीस] ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है;

[सत्ताइस] ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की वाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं;

3–**स्थल चयन के लिये समिति का गठन**–(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए लखनऊ नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा;

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे–

[एक]	नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त;	अध्यक्ष
[दो]	नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष	सदस्य
[तीन]	मा0 महापौर द्वारा नामित चार मा. पार्षदगण	सदस्य
[चार]	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य

[पांच]	सचिव लखनऊ, विकास प्राधिकरण	सदस्य
[छः]	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण {जहॉ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से सम्बन्धित हो};	सदस्य
[सात]	अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा रेलवे का प्रतिनिधि (जहॉ स्थल लोक निर्माण विभाग अथवा रेलवे से सम्बन्धित हो);	सदस्य
[आठ]	नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग) ;	सदस्य
[नौ]	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (जहाँ स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो);	सदस्य
[दस]	निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो;	सदस्य-सचिव

(3) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम सें आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–**प्रतिषेध**–(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट इस नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गो के सिवाय अन्य मार्गो के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5–**विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण**–(1) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) धरोहर

धनराशि, ''बी'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 30,000.00 (तीस हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये) धरोहर धनराशि, एवं ''सी'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 15,000.00 (पंद्रह हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 75,000.00 (पचहत्तर हजार रुपये) धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

(2) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे पाँच सौ रुपये भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क ''ए'' श्रेणी हेतु रु0 30,000.00 (तीस हजार रुपये), ''बी'' श्रेणी हेतु रु0 20,000.00 (बीस हजार रुपये) एवं ''सी'' श्रेणी हेतु रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये) होगा। ''ए'' श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेन्सी ही नीलामी/निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगी।

6–**अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया**–(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 1,000.00 का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहॉ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी–

[क] प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी;

[ख] पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनायें आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी;

[ग] कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों;

[घ] गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे–

[क] विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

[ख] नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट;

[ग] भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध-पत्र;

[घ] आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता की माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया ''वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के ''संरचना अभिकल्प, धारा 1 भार बल और प्रभाव'' के भाग 4 के अनुसार होगा।

[ङ] विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण-पत्र;

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डो/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

6-क–**अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–**(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, यह कि–

[क] अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निधि में संदत्त और जमा किया गया हो;

[ख] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जायेगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नहीं होगी;

[ग] विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा;

[घ] प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी;

[ङ] विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

[च] विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे;

[छ] विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे;

[ज] मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी;

[झ] भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे;

[ञ] लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा;

[ट] विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा;

[ठ] भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओ, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी;

[ड] विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें;

[ढ] समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाएं'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे;

[ण] विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा;

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा–

[क] यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है;

[ख] यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है;

[ग] यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

[घ] यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है; या,

[ङ] यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

6-ख–प्रीमियम–(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि अथवा 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

7–**अवंटन समिति**–(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

[एक]	नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	सदस्य
[दो]	नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष	सदस्य
[तीन]	मा0 महापौर द्वारा नामित चार मा0 पार्षदगण	सदस्य
[चार]	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य
[पांच]	निगम में तैनात यातायात सेल (ट्रैफिक सेल) का अभियन्ता	सदस्य
[छः]	सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी	सदस्य
[सात]	प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो	सदस्य/सचिव

टिप्पणी–स्थल चयन समिति आवंटित स्थल के संदर्भ में दिये गये परामर्श/निर्णय के सन्दर्भ में मा0 महापौर को अवगत करायेगी। किसी भी स्थल के सन्दर्भ में विवाद आदि पर मा0 महापौर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और निस्तारित किया जायेगा।

(2) [एक] समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेगी;

[दो] समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम 26 के अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम् प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(7) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(8) विज्ञापन (यथा-होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहाँ इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क उच्चतम् प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

8–**आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार**–नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है; यह कि–

[क] आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

[ख] प्रस्तावित विज्ञापन विधिक रूप से आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

[ग] तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो,

[घ] प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो;

[ङ] प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[च] प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[छ] प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो;

[ज] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो;

[झ] अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

9–**अनुज्ञा प्रदान करने की रीति**–किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा–

[एक] सार्वजनिक नीलामी द्वारा

[दो] निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

[तीन] निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण के द्वारा किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नही दी जायेगी, जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो;

[चार] निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन दी जा सकती है;

[पांच] विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों को अधिकतम 15 दिनो के अंदर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जायेगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अंदर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

10–**अनुज्ञा की अवधि**–अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से दो वर्ष की अधिकतम अवधि या संगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

11–**अनुज्ञा का नवीनीकरण**–नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवींकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवींकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

12–**विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति**–(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है–

[एक] इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय; और

[दो] ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन–(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि–

[एक] यह आकार में 12.2 मीटर **X** 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो;

[दो] यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो;

[तीन] यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[चार] समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

[पांच] यह मार्ग के आर-पार एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो;

[छः] यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

[सात] यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो;

[आठ] स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो;

[नौ] जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी–

[एक] ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातातात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

[दो] राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहों के मध्य की दूरी के 30 मीटर के भीतर;

[तीन] किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर;

[चार] ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो;

[पांच] किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो;

[छः] ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

[सात] जब इनसे स्थानीय सुविधाये प्रभावित हों।

(3) [एक] निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा;

[दो] सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा;

[तीन] गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके;

[चार] फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाये जा सकेंगे। कैक्टस वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे;

[पांच] सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा;

[छः] किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी–

[एक] ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे चालन की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

[दो] विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–**छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन**–(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य हैं।

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

15–**विज्ञापन पटों के प्रकार**–विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगे–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन

(ख) एल0ई0डी0 स्क्रीन

(ग) भू-विज्ञापन (यूनीपोल/ पेन्सिल यूनीपोल)

(घ) छत विज्ञापन

(ङ) बरामदा/दुकान विज्ञापन

(च) दीवार विज्ञापन

(छ) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(ज) शामियाना विज्ञापन

(झ) आकाशीय विज्ञापन

(ञ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन

(ट) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन

(ठ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन

(ड) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ढ) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन

(ण) ट्री गार्ड

(त) गैन्ट्री विज्ञापन

(थ) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन

(द) फुट ओवर ब्रिज

(ध) प्रचार वाहन

(न) रैन बसेरा पर विज्ञापन

(प) पानी की टंकी पर विज्ञापन

(फ) विद्युत पोल पर क्यास्क

(ब) सांकेतिक पट /साईनेज

(भ) रेलवे/मेट्रो के पिलर्स/दीवार/रेलिंग इत्यादि पर लगने वाली विज्ञापन सामग्री जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में।

(म) विज्ञापन के अन्य कोई भी माध्यम

(क) **वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन**–[क-1] **वैद्युत विज्ञापन की सामग्री**–जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

[क-2] **वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन**–प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग-8 भवन सेवायें धारा 2, विद्युत एवं समवर्गीय स्थापन के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

[क-3] लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।

[क-4] दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।

[क-5] **गहन प्रदीप्ति**–कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा या उसे हटा दिया जाएगा।

[क-6] **परिचालन अवधि**–नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।

[क-7] **चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला**–कोई चौधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जायेगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

[क-8] विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(ख) भू-विज्ञापन—[ख-1] **सामग्री**—ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

[ख-2] **आयाम**—कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

[ख-3] **अवलम्ब और स्थिरक स्थान**—प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

[ख-4] **स्थल सफाई**—किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

[ख-5] **यातायात में अवरोध**—ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

[ख-6] **तल निर्बाधन**—सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

[ख-7] भू-चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हों, नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(ग) छत विज्ञापन—[ग-1] **सामग्री** : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहॉ ज्वलनशील सामग्रियॉ अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहॉ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

[ग-2] **अवस्थिति**—(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

[ग-3] **क्षेपण (प्रोजेक्शन)**—कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

[ग-4] **अवलम्ब और स्थिरक**—प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

[ग-5] विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

[ग-6] चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, नियम 16 'समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं' के अनुरूप होंगे।

[ग-7] विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) बरामदा विज्ञापन–[घ-1] **सामग्री**–प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

[घ-2] **आयाम**–कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

[घ-3] **संरेखण**–प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

[घ-4] **स्थान**–बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा–

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

[घ-5] **लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई**–किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़ंजा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

[घ-6] **प्रक्षेपण**–घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ङ) दीवार विज्ञापन–प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

[क] प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

[ख] नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकायें–[च-1] **सामग्री**–प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

[च-2] **प्रक्षेपण एवं ऊँचाई**–कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहॉ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

[च-3] **अवलम्ब एवं संलग्नक**–प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

[च-4] **अतिरिक्त भार**–ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सके।

(छ) शामियाना विज्ञापन पट्टिका–[छ-1] **सामग्री**–शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

[छ-2] **ऊँचाई**–ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

[छ-3] **लम्बाई**–शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिकायें–आकाश विज्ञापन पट्टिका–आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन पट्टिकायें–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ–सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

[झ-1] **प्रकार**–झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी–

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाइसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

[झ-2] **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता**–

(एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका**–पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) **झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं**–किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जायं या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।

(छः) **अधिकतम आकार** : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।

(सात) **प्रक्षेपण**–कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढेंगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्हं पट्टिकाऍं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति**–भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़ जाये, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि कें लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी–मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

16–**सभी विज्ञापन पटों/पट्टिकाओं के लिये सामान्य अपेक्षायें**–(1) **भार**–विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आँधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) **प्रदीप्ति**–कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-8 भवन सेवाएं खण्ड-2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान**–

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आयेगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएँ लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएँ स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहाँ विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिये।

(छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे ब्रेल पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थो का प्रयोग–[एक] **सजावटी विशिष्टता**–ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहॉ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

[दो] **विज्ञापन पट्टिका का फलक**–विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण**–जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) **अनुज्ञा-पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन**–अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17–**दुकानों पर विज्ञापन**–किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18–**मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन**– सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोडकर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) **मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन–**

[एक] **अभिकल्प**–विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापन–अभिकल्प**–बस सायबानो (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोडते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नंबर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता,

जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन**–नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़क**–नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/ पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ**–नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मी0 गुणे 0.75 मी0 होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी0 होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)**–नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(सात) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)**–नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुणे 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनो ओर के विभाजको की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

19–**छूट**–(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी–

[एक] यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

[दो] यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

[तीन] किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

[चार] यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतक, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर से अधिक न हो।

[पांच] यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

[छः] यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह .90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

[सात] इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रखरखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पट्ट**–नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

[एक] **भण्डारण विज्ञापन पट्ट**–किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

[दो] **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट :** किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

[तीन] **नाम पट्ट**–किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

[चार] ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों।

(3) **अस्थाई विज्ञापन पट्ट**–[एक] **निर्माण स्थल संकेत :** निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

[दो] **विशेष संप्रदर्शन संकेत**–अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है। (नियम-15 झ(2) 'अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता' देखिए)

20–**विशेष विज्ञापन**–(1) यदि अनुसूची–2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तो पर और इस उपविधि

द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21–**विशेष नियंत्रण क्षेत्र–**(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा ''ज्वैलर्स'' ''कैफे'' ''डांसिंग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

22–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, लखनऊ मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

23–झण्डियों पर रोक–(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपह्व या विनष्ट कर सकता है।

24–**अनुरक्षण और निरीक्षण–**(1) **अनुरक्षण–**सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही

दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था**–प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) **निरीक्षण**–प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

25–**प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**–नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

[एक] सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

[दो] प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

[तीन] जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

26–**भुगतान की रीति**–(1) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किश्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची-2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुसूची-2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होंगी।

27–**क्षेत्रों का वर्गीकरण**–विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा–

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

(दो) 'अ' श्रेणी क्षेत्र

(तीन) 'ब' श्रेणी क्षेत्र

(चार) 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) [क] निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र–

- महात्मा गांधी मार्ग-डी0एम0 आवास से हजरतगंज चौराहा-राज भवन (गवर्नर हाउस), वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस होते हुए कटाई पुल तक;
- विधानसभा मार्ग-हजरतगंज चौराहा होते हुए रॉयल होटल चौराहे तक;
- बापू भवन चौराहा से विधानसभा-एनेक्सी भवन होते हुए लालबत्ती चौराहे तक;
- विधान सभा, एनेक्सी भवन, बापू भवन व राजभवन के आसपास;
- नया हाईकोर्ट के चारों ओर;
- गोल्फ क्लब चौराहा से विक्रमादित्य चौराहा तक;

(ख) स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होर्डिंग एवं यूनीपोल हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र–

- अशोक मार्ग हजरतगंज चौराहे से सिंकदर बाग चौराहे तक।
- ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पुरातात्विक स्मारकों के आस-पास, विधान सभा भवन के चारों ओर।
- मा0 उच्च न्यायालय के आस-पास।
- अमौसी एयरपोर्ट नये मोड़ से अवध अस्पताल तक एवं वी0आई0पी0 रोड होते हुये जेल रोड पर इक्ष्वाकुपुरी कालोनी तक।
- विश्वविद्यालय मार्ग, आई0टी0 चौराहे से पुलिस लाइन के मुख्य द्वार तक।
- शहर के समस्त मुख्य चौराहे एवं मुख्य चौराहों से चारों ओर 20 मीटर तक।
- शहीद पथ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग।
- कालिदास मार्ग से 1090 चौराहे तक।

नगर आयुक्त वी.वी.आई.पी. मूवमेंट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये अधिकृत होंगे।

(दो) अ' श्रेणी क्षेत्र –

- एयरपोर्ट बाउन्ड्रीवाल कानपुर रोड से अवध चौराहा आलमबाग वी.आई.पी. रोड, इक्ष्वाकुपुरी कालोनी (कैन्ट), आलमबाग मवइया, चारबाग तक,।
- निशातगंज उपरिगामी पुल के दोनों ओर गोल चौराहे महानगर कोतवाली होते हुए क्लासिक चौराहा, कार्मल स्कूल महानगर, बादशाह नगर चौराहा से इन्दिरा नगर (फैजाबाद रोड) एच.ए.एल. होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा तक।

- नेहरु वाटिका से नगर निगम जोन–3 कार्यालय होते हुए कपूरथला चौराहा, मन्दिर मार्ग, गोल मार्केट (महानगर) रिट्ज, क्लासिक चौराहा तक।
- परिवर्तन चौक से हनुमान सेतु से विश्वविद्यालय मार्ग आई.टी. चौराहा होते हुए निशातगंज उपरिगामी पुल तक।
- आई0टी0 चौराहा से उपरिगामी पुल होते हुए कपूरथला चौराहा तक।
- परिवर्तन चौक से पक्का पुल ट्रॉमा सेन्टर शाहमीना रोड कसाई वाला पुल मेडिकल कालेज से चौक चौराहे तक, कन्वेंशन सेन्टर से बुद्धा पार्क होते हुए टीले वाली मस्जिद तक।
- लोहिया पथ– गोल्फ क्लब चौराहा से 1090 चौराहा से समतामूलक चौराहा से लोहिया चौराहा होते हुए उपरिगामी सेतु के दोनो ओर पालीटेक्निक चौराहे तक।
- गाँधी सेतु से अम्बेडकर उद्यान होते हुए सी.एम.एस, मनोज पाण्डे चौराहे से पत्रकारपुरम चौराहा होते हुए हुसेड़िया चौराहा तक।
- सी0एम0एस0 चौराहा से दयाल पैराडाइज से ग्वारी चौराहा होते हुए हुसड़िया चौराहा तक, ग्वारी चौराहा से होते हुए पत्रकारपुरम तक। लोहिया उपरिगामी पुल के नीचे से होते हुए मनोज पाण्डे चौराहा तक।
- शाहनजफ रोड हजरतगंज से सहारागंज तक। सप्रू मार्ग, एस.एस.पी. आवास से इंदिरा भवन तिराहे तक।
- लालबाग स्थित त्रिलोकनाथ मार्ग नावेल्टी सिनेमा तक (नगर निगम कार्यालय के सामने वाली रोड), बसंत तिराहे से भोपाल हाउस होते हुए नावेल्टी सिनेमा तक।

(तीन) 'ब' श्रेणी क्षेत्र–

- मेडिकल कालेज चौराहा से नक्खास से हैदरगंज से उपरिगामी पुल से आर.डी.एस.ओ. होते हुए आलमबाग चौराहे तक।
- हुसैनगंज चौराहे से बासमण्डी नाका डी.ए.वी. कालेज, ऐशबाग उपरिगामी पुल होते हुए हैदरगंज चौराहा।
- सदर उपरिगामी सेतु से बर्लिंग्टन चौराहा होते हुए कैसरबाग चौराहा तक, बापू भवन चौराहा से कैसरबाग चौराहा अमीनाबाद, बारादरी कैसरबाग से लाटूश रोड होते हुए चारबाग तक। हुसैनगंज चौराहे से हीवेट रोड होते हुए लाटूश रोड तक।
- पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया चौराहे से खुर्रम नगर चौराहा–टेढ़ी पुलिया चौराहा–इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से आई.आई.एम. तिराहा होते हुए नगर निगम सीमा तक।
- इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से राम-राम बैंक चौराहे, सेक्टर क्यू. ब्राउन बेकरी होते हुए पुरनिया चौराहे तक एवं पुरनिया उपरिगामी पुल से पुरनिया चौराहे से केन्द्रीय भवन एवं ईदगाह होते हुए डंडहिया तक,
- लोक सेवा आयोग से नेहरू वाटिका होते हुए निराला नगर फ्लाई ओवर, आठ नम्बर चौराहा निराला नगर, रामकृष्ण मठ तक,

- आई.टी. चौराहे से डालीगंज पुल तक।
- पिकप गोमती नगर से होते हुये लोहिया अस्पताल, इंदिरा प्रतिष्ठान, शहीद पथ के नीचे से गोमती नगर फेज-2 के विभिन्न खण्ड,
- फैजाबाद रोड पॉलीटेक्निक चौराहा से मटियारी चौराहा होते हुए नगर निगम सीमा तक,
- हुसड़िया चौराहा जोन-4 कार्यालय से हनीमैन चौराहा से उपरिगामी पुल होते हुए चिनहट तिराहा तक,
- स्टेडियम के बगल से स्टेट बैंक होते हुए लामार्टीनियर गर्ल्स स्कूल होते हुए नेशनल कालेज तिराहा तक,
- राणा प्रताप मार्ग से क्लार्क अवध होटल तिराहा से नेशनल कॉलेज से दैनिक जागरण चौराहा होते हुए लोहिया पथ तक,
- तिलक मार्ग, राणा प्रताप मार्ग से बालू अड्डा से वैकुन्ठधाम होते हुए नेशनल कॉलेज तिराहा तक, जापलिंग रोड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, बटलर पैलेस तिराहे तक।
- रायबरेली रोड कैन्ट तेलीबाग से पी.जी.आई. होते हुए नगर निगम सीमा तक।
- मवैया तिराहे से फ्लाई ओवर आटा मिल रोड होते हुए एवरेडी तिराहे तक,
- अमर शहीद पथ-फैजाबाद रोड पर कमता तिराहे से कानपुर रोड तक,
- कानपुर रोड पर अवध अस्पताल चौराहे से बुद्धेश्वर चौराहा होते हुए हरदोई रोड (दुबग्गा बाईपास) दुबग्गा से आई0आई0एम0 तिराहा होते हुए सीतापुर रोड तक।
- सीतापुर रोड पक्के पुल से मड़ियॉव होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज उपरिगामी पुल तक,
- कानपुर रोड, नादरगंज मोड़ से स्कूटर इंडिया होते हुए नगर निगम सीमा तक,
- कानपुर रोड से फीनिक्स मॉल से पॉवर हाउस चौराहे से बिजली पासी चौराहा होते हुए खजाना चौराहा तक,
- बंग्ला बाजार चौराहे से नहर किनारा (सर्विस लेन) से पकरी पुल होते हुए कानपुर रोड,
- पकरी पुल से पॉवर हाउस चौराहा होते हुए अम्बेडकर ऑडिटोरियम तक,
- बंग्ला बाजार चौराहे से नहर होते हुए रायबरेली रोड तक,
- (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व के अधीन मार्गों पर कोई भी अनुज्ञा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के बाद दी जा सकेगी)

(चार) 'स' श्रेणी क्षेत्र–

- चौक चौराहे से ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा सब्जी मण्डी तक, आलमनगर-बुद्धेश्वर चौराहे तक,

- कुर्सी रोड टेढ़ी पुलिया से विकास नगर अलीगंज, कुर्सी रोड पर मानस काम्प्लेक्स से मामा चौराहा होते हुए टेढ़ी पुलिया चौराहा तक,
- फैजाबाद रोड तथा रिंग रोड (मुख्य मार्ग) को छोड़कर अन्दर का सम्पूर्ण इन्दिरा नगर क्षेत्र।
- खुर्रम नगर चौराहे से रहीम नगर चौराहा वायरलेस क्लासिक चौराहे तक,
- 'अ' एवं 'ब' श्रेणी से अनाच्छादित गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर, अलीगंज, जानकीपुरम, राजाजीपुरम, बंग्ला बाजार, आशियाना, एल.डी.ए. कॉलोनी, वृंदावन योजना के समस्त खण्ड क्षेत्र के समस्त क्षेत्र।
- शहीद स्मारक से कैसरबाग बस अड्डा।
- कालोनी तथा मोहल्ले की मुख्य मार्गों को छोड़कर अन्दर वाला भाग तथा ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नही है (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)।

28–हटाये जाने की लागत–नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी–

		रु0
(क)	6.1 × 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक लागत	10,000.00
(ख)	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत	15,000.00
(ग)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत	5,000.00
(घ)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	30,000.00

29–अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन–(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन–उपविधि में अन्य बातों के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणी समिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिए अधिकृत होंगी/होगा।

प्रपत्र सं0 .....

मूल्य रु0 1,000.00

अनुसूची-1

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र

1–आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम .....

2–अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम .....

3–पता .....

4–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार .....

5–विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई × चौड़ाई मीटर में) .....

6–स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति .....

7–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम .....

.....

8–क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ? .....

9–(एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

10–(एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क .....

(दो) किश्त की धनराशि .....

11–देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क .....

12–कोई अन्य विवरण .....

.....

संलग्नकः

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरभाष नं0

मोबाइल नं0

अनुसूची-2

(नियम 26 देखे)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1–निगम द्वारा स्वामित्वाधीन सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए–

(1) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,400.00 (दो हजार चार सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,600.00 (एक हजार छः सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

2–एक स्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट–

(1) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

3–विद्युत पोल/ट्री-गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट–

(1) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

4–बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)/गैन्ट्री :–

(1) अ श्रेणी क्षेत्र : रु0 5,000.00 (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ब श्रेणी क्षेत्र : रु0 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) स श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5– (1) एल0 ई0 डी0 स्क्रीन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु निर्दिष्ट दरों का 65 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

6– (1) निजी भूमि/भवन, दीवार पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा शुल्क की दरें–

क्रम सं0	माप वर्ग फिट	निर्धारित अनुज्ञा शुल्क
1	200 से 300 वर्गफिट माप तक	20,400.00
2	301 से 600 वर्गफिट माप तक	40,800.00
3	601 से 1200 वर्गफिट माप तक	81,600.00
4	1200 से अधिक 1800 वर्गफिट माप तक	1,02,000.00

6— (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

(एक) हल्का वाहन : रु0 10,000.00 (दस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(दो) भारी वाहन : रु0 40,000.00 (चालीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर—

(एक) तीन पहिया : रु0 300.00 (तीन सौ) प्रति दिन

(दो) चार पहिया : रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रति दिन

(तीन) छः पहिया : रु0 1,500.00 (एक हजार पाँच सौ) प्रति दिन

7— पोस्टर : रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रति सैकड़ा

8— पर्चा (हैण्ड बिल) : रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति हजार

9— पताका (बैनर) : रु0 200.00 (दो सौ) प्रति बैनर

10— गुब्बारे : रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रतिदिन

11— छतरी (कैनोपी) : रु0 300.00 (तीन सौ) प्रतिदिन

12— आटो रिक्शा थ्री-व्हीलर : रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रतिवर्ष प्रति आटो

13— बसों पर : रु0 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

14— दीवारों पर वॉल राइटिंग – अनुज्ञा शुल्क की दर मद संख्या 1 के अनुसार

15— रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-2 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।

16— उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या 1 के अनुसार लिया जायेगा।

17— ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु0 200.00 प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन

18— जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।

19–निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण का प्रमाण-पत्र, भवन स्वामी का अनुबंधनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।

20–इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

21–अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

स्पष्टीकरण–

1–यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते है कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जायेगी।

2–अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत गोपामऊ (हरदोई)

17 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 246 II/न0पं0गो0/बॉयलाज/2019-20–नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2221/नौ-5-18-352सा/2016, नगर विकास अनुभाग-05, दिनांक 29 जून, 2018 में निहित "उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति" में जारी मार्गदर्शी निर्देशों को समाहित करते हुये तथा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में नगर पंचायत गोपामऊ (हरदोई) अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 10 जून, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा मे "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2019" का प्राख्यापन करती है। जिसका विस्तार अधोलिखित है। प्रस्तावित उपविधि पर यदि किसी सम्बन्धित को कोई भी आपत्ति हो, तो अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में 01 माह (30 दिन) के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

1–**संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ–**(1) यह उपविधि "न0पं0 गोपामऊ (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2019" के नाम से प्रभावी होगी।

(2) यह नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत, गोपामऊ की सीमा में प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें–**जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में–

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगर पंचायत, का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, जनपद हरदोई की सीमा से है।

(4) अध्यक्ष, का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ के अध्यक्ष से है।

(5) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये समानुदेशित हों।

(6) खुले में कचरा फेंकने, पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने व स्वच्छ वातावरण में व्यवधान–

व्यक्ति (अपशिष्ट उत्पादन व अन्य) ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, परिसर के बाहर, खुले में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा, न गाड़ेगा।

नगर पंचायत गोपामऊ सीमान्तर्गत सार्वजनिक जगह/सड़क/खुले में या जल निकास या नाला/नाली में कूड़ा/कचरा फैलाने/फेंकने/गाड़ने पर न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

सड़क पर यत्र/तत्र थूकने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 एक सौ प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में नहाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 एक सौ प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में मूत्र त्याग करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 दो सौ प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर/खुले में शौच करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 पांच सौ प्रति प्रकरण।

जानवरों/पशुओं/पक्षियों को पंचायत सड़क/फुटपाथ पर बांधने/खड़ा करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 दो सौ प्रति प्रकरण।

सड़क/फुटपाथ पर कपड़े धोने या अन्य इसी तरह की गन्दगी फैलाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 दो सौ प्रति प्रकरण।

(7) कचरा पृथक्करण, संग्रहण, अपृथक्कीकृत कचरा उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड–

घरेलू– 100.00 (एक सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

बल्क जनरेटर– 500.00 (पांच सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

अजैविक कचरे को पृथक्कीकृत रूप में न उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 100.00 (एक सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

गार्डेन/बागवानी अपशिष्ट को मानकों के अनुसार पृथक्कीकृत न करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 100.00 (एक सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

खाद्य–मांस अपशिष्ट को पृथक्कीकृत करके न उपलब्ध कराने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 300.00 (तीन सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

पालतू पशुओं द्वारा नगर पंचायत सड़क/नाला/नाली/फुटपाथ पर गंदगी/गोबर करने पर अर्थदण्ड/जुर्माना रु0 500.00 (पांच सौ) रुपये प्रति प्रकरण।

(8) मरे हुये बड़े जानवर (पालतू) को उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(9) मरे हुये छोटे जानवर (पालतू) को उठाने पर शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(10) कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत को सूचित किये बिना किसी भी अनुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा। शादी/विवाह समारोह आदि से उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई हेतु शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(11) प्रत्येक सड़क/फेरी विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान–हरा एवं नीला पृथक-पृथक अपने पास रखेगा एवं यथा भोज्य-अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेटेस, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि और इन्हें नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा। विभिन्न प्रकार के चाट/फल/रेहड़ी के ठेलों आदि पर सूखा एवं गीला कचरा पृथक-पृथक एकत्रीकरण हेतु डस्टबिन/कूड़ादान नही पाये जाने पर अर्थदण्ड/शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ) प्रति प्रकरण।

(12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में/सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा/कचरा जलाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 5,000.00 (पांच हजार) (साधारण क्षति पर) एवं बल्क मात्रा में कूड़ा जलाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(13) निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट स्वयं के परिसर में एकत्रित किया जायेगा तथा इसके निस्तारण हेतु मलबा निस्तारण शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रति वाहन प्रति प्रकरण।

(14) सड़क/फुटपाथ के किनारे अवैध रूप से निर्माण सामग्री-मौरंग, बालू, ईंट, भवन-मलबा, एवं ध्वंसा अपशिष्ट आदि पाये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(15) नालियों एवं फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे, अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण।

(16) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, नगर पंचायत गोपामऊ द्वारा यूजर चार्ज के रूप में–

घरेलू (50 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 15.00 (पन्द्रह) प्रतिमाह।

घरेलू (50 वर्ग मी0 से 300 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 50.00 (पचास) प्रतिमाह।

घरेलू (300 वर्ग मी0 से अधिक के मकानों पर) शुल्क रु0 100.00 (एक सौ) प्रतिमाह।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान–दुकान, ढाबा, स्वीट हाउस, काफी शाप आदि रु0 200.00 (दो सौ) प्रतिमाह।

गेस्ट हाउस–500.00 रु0 प्रतिमाह।

हॉस्टल–400.00 रु0 प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (बिना श्रेणी) से–रु0 500.00 प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी तक)–रु0 1,000.00 प्रतिमाह।

होटेल/रेस्टोरेंट (03 स्टार श्रेणी से ऊपर)–रु0 2,000.00 प्रतिमाह।

व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शिक्षण संस्थान–रु0 500.00 मासिक।

क्लीनिक डिस्पेंसरी एवं लैबोरेटरी–रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रतिमाह।

छोटी एवं घरेलू औद्योगिक वर्कशाप (हानिकारक रहित कचरा) प्रतिदिन 10 (दस) किलोग्राम कचरा उत्पादन पर रु0 500.00 (पांच सौ) प्रतिमाह।

गोदाम,कोल्ड स्टोर (हानिकारक रहित कचरा) रु0 1000.00 (एक हजार) प्रतिमाह।

मैरिज हाल, फेस्टिवल हाल, मेला एवं प्रदर्शनी 3000 वर्ग मी0 तक क्षेत्रफल में रु0 4,000.00 प्रति कार्यक्रम।

उपरोक्त में अंकन से छूटे हुये अन्य श्रेणी के कचरा उत्पादन–नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार आरोपित किया जायेगा।

(17) नगर पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 03.00 (तीन) प्रति एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 05.00 (पॉच) प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

(18) नगर पंचायत गोपामऊ सीमान्तर्गत खुले में शौच/मल त्याग करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ) प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रति व्यक्ति।

(19) नगर पंचायत गोपामऊ सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमायों के पार्क/डिवाइडरों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ) देय होगा।

(20) उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-7 द्वारा जारी अधिसूचना सं0 1056/9-7-18-29 (लखनऊ)/18 दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूडा-कचरा (विनिमयन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 6-क, 7, 12 और 13-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुच्छेद 243-थ के अधीन गठित नगर पंचायत के सीमाक्षेत्र में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों टंबलरों, थर्मोकोल, प्लास्टिक कैरीबैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, भण्डारण, वितरण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसके उल्लंघन पर शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट है। जो निम्नवत् है–

क्र0सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरीबैगों, प्लास्टिक, और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा।	धनराशि
		रु0
01	100 ग्राम तक	1,000.00
02	101 ग्राम- 500 ग्राम	2,000.00
03	501 ग्राम- 1 किलोग्राम	5,000.00
04	1 किलोग्राम- 5 किलोग्राम	10,000.00
05	5 किलोग्राम से अधिक	25,000.00

"नगर पंचायत गोपामऊ (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि, 2019" में उल्लिखित शुल्क/जुर्माना/अर्थदण्ड सम्बन्धित द्वारा नगर पंचायत को समय से अदा न करने की स्थिति में उसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थान से भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार पंचायत में निहित होगा।

परवीन खांन,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोपामऊ,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत गोपामऊ (हरदोई)

17 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 243-II/न0पं0गो0बॉयलॉज/2019-20–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) व 126(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 10 जून, 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 408/नौ-10-63ज/95 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9, दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश संख्या 135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन मे नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा संपत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 बनायी गयी है जो राजकीय गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी। उक्त उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई के कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह अर्थात् 30 दिन के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचाार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019

1–यह नियमावली नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 कही जायेगी।

2–यह नियमावली नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई की सीमा में लागू होगी।

3–यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू होगी।

4–"नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई से है।

5–"अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

6–"अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7–"प्रशासक/बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई के प्रशासक/बोर्ड से है।

8–"अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

9–"शासनादेश" का तात्पर्य उ0प्र0 शासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10–कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिए नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11–आवेदन-पत्र नगर पंचायत गोपामऊ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12–जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई द्वारा की जायेगी।

13–भवन–इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14–"सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15–"आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य, कुर्सी के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16–कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी–

(क) कमरे	– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ख) आच्छादित बरामदा	– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह	– आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।
(घ) गैराज	– आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।
(ङ) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र	– कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया	– आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग।

17–**कर का निर्धारण**–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

18–(क) **करों का भुगतान**–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत गोपामऊ कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक मे कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो के नगरपालिका अधिनियम की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरुपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नहीं है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19–किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत।

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत।

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत् समझा जायेगा।

नोट–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(2) में यह प्रावधान है कि जहां नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों मे किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहॉ नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

20–**व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य**–सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटाचक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21–**औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य**–सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखाने, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी/एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लाण्ट/संयंत्र/केन्द्र आदि से है।

22–इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य–राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0, पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हैण्डीकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह, एवं देखभाल केन्द्र, बृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, पोलीटेक्निक, इन्जिनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कलाकेन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, धर्मिक केन्द्र, बारात घर, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट–जो भी सामाजिक, धार्मिक राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क जनहित मे कार्य कर रही हैं वे कर से मुक्त रहेगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23–**रेन्ट कन्ट्रोल के मकान**–रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नही होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24–जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को की गृहकर का भुगतान करना होगा।

25–करों मे छूट–

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य संबंधित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नही करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26–संबंधित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा मे 50 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भूखण्ड पर क्रमशः रु0 100/500/1000/3000 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति मे शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27–भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुनर्निमाण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में बृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28–जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हे भी प्रपत्र (क) और (ख) पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र (क) के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगे।

29–(क) **मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी–**कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करते हुये विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम, कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30–**मकानों का हस्तांतरण सम्बन्धी नियम–**(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तांतरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना रु0 300.00 शुल्क जमा करके अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 100.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है तो उसका शुल्क रू0 500.00 जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी।

31–**कर निर्धारण दर–**गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32–मुख्य मार्ग का तात्पर्य–मुख्य मार्ग में सभी सडकें आयेंगी जिसकी चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होगी।

33–अन्य मार्ग का तात्पर्य–मुख्य मार्ग के अंदर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़क एवं समस्त गलियां अपने भागों में आयेंगी।

34–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट।

35–अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई में निहित होगा।

36–अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो का कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37–(क) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भूखण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन/भूखण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नही की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशों पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का पांच गुना।
2	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का चार गुना।
3	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर,स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना।
4	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना।
5	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना।
6	औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना।
7	क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का दो गुना।
8	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना।
9	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर के समान।

38–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

कक्षवार (वार्डवार) निर्धारित प्रस्तावित मासिक किराया (प्रति वर्ग फीट) दरों की सूची

कक्ष/वार्ड का नाम	वार्ड संख्या	24 फीट से अधिक चौड़े मार्ग पर दर			20 फीट से 24 फीट चौड़े मार्ग पर दर			12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर			भूमि के सम्बन्ध में	
		आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	12 फीट से 24 फीट चौड़े मार्ग पर दर	12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कन्नौजी पश्चिमी	1	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
मटेहना	2	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अर्चाजन	3	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
फर्राश उत्तरी	4	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
सागर तालाब	5	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कन्नौजी पूर्वी	6	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
लालपीर	7	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
मिश्राना	8	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
बड़ी बाजार	9	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
खारीकुआँ	10	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
बंजारा	11	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
मोलवी	12	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05

अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

परवीन खांन,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोपामऊ,
हरदोई।

कार्यालय, नगर पंचायत, गोपामऊ (हरदोई)

17 सितम्बर, 2019 ई0

सं0 241-II/न0पं0गो0/बॉयलॉज/2019-20—नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 (1) के उपखण्ड (13-ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 10 जून 2019 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर उगाहने पर नियमावली, 2019 बनायी है। जिसे उक्त ऐक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है जिसकी अवधि एक माह अर्थात् 30 दिन होगी। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत गोपामऊ की सीमा में प्रभावी होगी।

अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली, 2019

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(क) यह नियमावली नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई के भीतर अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

(ख) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से तात्यर्प नगर पंचायत, सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय, तबादला नामा व दान से है।

2—परिभाषायें—(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) से है।

(ख) "नगर" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, जिला हरदोई से है।

(ग) "शुल्क" का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गए शुल्क से है।

(घ) "इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित, इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 से है।

(ङ) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ से है।

(च) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, जिला हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत गोपामऊ, जिला हरदोई के अध्यक्ष से है।

(ज) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3—नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोगबन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढा दिया जायेगा।

4—**कर लगाने की प्रक्रिया**—उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी—

(1) जब कभी नगर भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये हैं :

(क) नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(2) यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् दिये गये हों तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128-क की उपधारा (4) द्वारा नगर पंचायत पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5—**कर के लेख रखना**—निबन्धन अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् लेखे रखेगा, जिसमें वह शुल्क और कर दिखायेगा।

6—निबन्धन अधिकारी, जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (ऐक्ट संख्या 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हे अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करें राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

7—निबन्धन अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक्-पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली की गई धनराशि दिखाएगा और उसे जिला निबन्धक को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पांचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8—जिला निबन्धक ऊपरनिर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण-पत्रों की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजेगा—

(क) निबन्धन महानिरीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(ख) अपर सचिव, राजस्व परिषद् उ0प्र0, इलाहाबाद।

(ग) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गोपामऊ, जिला हरदोई।

(घ) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

9–(क) नगर पंचायत, गोपामऊ, हरदोई की ओर से उगाही गई कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी जाएगी, प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए, अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद को फाइनेंशियल हैण्ड बुक खण्ड 5 भाग के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किए जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जाएगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किए जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।

(ख) नगर पंचायत निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करे।

10–अभिलेखों का निरीक्षण–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्रधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किए बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

परवीन खान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोपामऊ,
हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि घर पर पुकारने का नाम एवं एल0आई0सी0 पालिसी में मजीदुन निशा लिखा है, जबकि मेरा नाम बैंक, आधार कार्ड व निर्वाचन कार्ड में तारा बेगम है। तारा बेगम व मजीदुन निशा दोनों ही मेरा नाम है। भविष्य में मुझे तारा बेगम के नाम से जाना और पहचाना जाये।

तारा बेगम पत्नी स्व0 सफदर खान, ग्राम कमालपुर लोदी, पोस्ट मीरानपुर, थाना नोनहरा, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर (उ0प्र0)।

तारा बेगम।

सूचना

मैं, चन्द्र पाल पुत्र बाबू लाल, निवासी कबीरपुर, गोसाईगंज, लखनऊ पैन कार्ड में पिता का नाम त्रुटिवश बंशी लाल दर्ज हो गया है, जबकि पिता का सही नाम बाबू लाल है।

चन्द्रपाल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विद्युत एसोसिएट्स पता 9 बजरीया जी टी रोड आर्य गेस्ट हाउस, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की पाटनर्स शिप 05 सितम्बर, 2019 को हुई थी, इसमें क्रमशः तीन साझेदार श्री अंशुमन गुप्ता पुत्र श्री मुकेश गुप्ता, श्री नकुल राघव पुत्र श्री हंसराज सिंह, राघव व श्री देव प्रताप सिंह पुत्र श्री देव धारी सिंह थे। दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को नये साझेदार श्री पवन गोयल पुत्र श्री राम विलास गोयल स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार हुये हैं तथा अब इस फर्म में क्रमशः चार साझेदार हो गये हैं। 1–श्री अंशुमन गुप्ता पुत्र श्री मुकेश गुप्ता, 2–श्री नकुल राघव पुत्र श्री हंसराज सिंह राघव, 3–श्री देव प्रताप सिंह पुत्र श्री देव धारी सिंह, 4–श्री पवन गोयल पुत्र श्री राम विलास गोयल साझेदार हो गये हैं।

अंशुमन गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स विद्युत एसोसिएट्स,
9 बजरीया जी0टी0 रोड आर्य गेस्ट,
हाउस, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रितीका यादव है लेकिन मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम यशस्वी यादव दर्ज है। अतः मुझे यशस्वी यादव के नाम से जाना पहचाना व लिखा पढ़ा जाय।

यशस्वी यादव,
पुत्री हरिहर यादव,
पता–136 ट्रांसपोर्ट नगर धूमनगंज,
प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मेसर्स जैम मार्केटिंग, 20/87, यमुना रोड, नियर अमेरिकन ट्रांसपोर्ट आगरा में श्री सत्यम बंसल पुत्र श्री सरजू बंसल, निवासी 19, एम0आई0जी0, जयपुर हाउस, आगरा, दिनांक 30 नवम्बर, 2020 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा फर्म के पूर्व द्वितीय पक्ष श्री लवीश कुमार गोयल पुत्र स्व0 विनोद कुमार गोयल, निवासी जी-1, फ्रैण्ड्स अपार्टमेंट, चर्च रोड, खन्दारी, आगरा, दिनांक 30 नवम्बर, 2020 से अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री रवि गोयल व श्री सत्यम् बंसल ही भागीदार रह गये हैं।

रवि गोयल।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मे0 सिंह शॉपिंग काम्पलेक्स, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, फिरोजाबाद की पूर्व तृतीय पक्ष भागीदार श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री मुनेश कुमार, निवासी राजकीय पॉलीटेक्निक, जलेसर रोड, फिरोजाबाद की मृत्यु 09 नवम्बर, 2019 को होने के कारण दिनांक 10 नवम्बर, 2019 से उनके स्थान पर श्री मुनेश कुमार पुत्र श्री सुखपाल सिंह, निवासी रमन कुमार इन्वर्टर वाले, मोहल्ला भगवान नगर, काली मंदिर के पास, गली नं0-5, फिरोजाबाद नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री विपिन कुमार, श्री मुकेश कुमार व श्री मुनेश कुमार भागीदार हो गये हैं।

विपिन कुमार,
भागीदार,
मे0 सिंह शॉपिंग काम्पलेक्स,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औद्योगिक क्षेत्र,
फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मेसर्स सैनिक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लान्ट, नियर कोमल जनरल स्टोर, नगला रेवती, जगनेर रोड, आगरा, उ0प्र0 से पूर्व श्री राजकुमार पुत्र श्री हुब्ब लाल, निवासी 36/147-A/2-B, गुम्मट तख्त पहलवान, देवरी रोड आगरा, उ0प्र0 व श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सोनपाल, गोला निवासी A-63 सुभाष नगर, जगदीशपुरा, आगरा, उ0प्र0, दिनांक 04 नवम्बर, 2020 से अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं अब फर्म में श्री जगराम सिंह यादव व श्री राम किशन सिंह ही भागीदार रह गये हैं।

जगराम सिंह यादव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 श्री सिद्धिविनायक इंटर प्राइजेज में महेंद्र प्रताप शाही 50% व आदित्य चौहान 50% की साझेदारी थी, जिसे 14 अगस्त, 2020 को आदित्य चौहान ने अपनी साझेदारी समाप्त कर दी है।

उक्त फर्म में 14 अगस्त, 2020 से मनीषा शाही 49% व महेंद्र प्रताप शाही 51% साझेदार हैं। जिसका वर्तमान पता 1201, टावर 4, पार्श्वनाथ प्लेनेट, विभूति खण्ड, लखनऊ हो गया है।

महेंद्र प्रताप शाही,
पार्टनर,
श्री सिद्धिविनायक इण्टर प्राइजेज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पन्ना लाल अमित कुमार, स्थित श्यामगंज, बरेली, उ0प्र0, पिनकोड-243001 (पंजीकरण संख्या बी-13662), फर्म में कुल 2 साझेदार अमित कुमार अग्रवाल व पार्वती देवी थे, साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को फर्म में एक नया साझेदार महेन्द्र कुमार शामिल किया गया है तथा फर्म के एक साझेदार अमित कुमार अग्रवाल फर्म में अपनी स्वेच्छा से दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को अवकाश प्राप्त करके अलग हो गये हैं, अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 2 साझेदार महेन्द्र कुमार व पार्वती देवी तथा फर्म एवं साझेदार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

महेन्द्र कुमार,
साझेदार,
मेसर्स पन्ना लाल अमित कुमार,
बरेली, उ0प्र0।

NOTICE

I, Sita Rani Devi W/O Radhey Shyam Singh, LRO, TEL No. 053085Z (Indian Navy) Resident of 5/18/25 S.B.I. Colony Bachra Road Ayodhya, 224001 U.P. have Changed my name from Sita Rani Devi to Sita Devi an affidavit dated 31-08-2020 is also submitted for placing in U.P. Gazette for Naval Record Office or any authorities concern.

Sita Devi.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स मोहन लाल गुप्ता, डी-89, शास्त्रीनगर, मेरठ-250001 की साझीदारी में श्री मोहन लाल गुप्ता, श्री रमन गुप्ता, श्री सचिन गुप्ता एवं श्री नवनीत गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को श्री मोहन लाल गुप्ता जी का स्वर्गवास हो चुका है। फर्म में वर्तमान में श्री रमन गुप्ता, श्री सचिन गुप्ता एवं श्री नवनीत गुप्ता साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रमन गुप्ता,
साझीदार,
मेसर्स मोहन लाल गुप्ता,
डी-89, शास्त्रीनगर, मेरठ-250001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स डी0एस0 कान्स्ट्रक्शन, 385/65 गऊशाला, मुजफ्फर नगर का रजिस्ट्रेशन कार्यालय निबन्धक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर से दिनांक 04 जनवरी, 2010 को हुआ था, फर्म में रजिस्ट्रेशन के समय उम्मेदपाल सिंह, विवेक कुमार मलिक व दिलावर सिंह पार्टनर थे, दिनांक 14 जून, 2012 की डीड के अनुसार फर्म में उम्मेद पाल सिंह व विवेक कुमार मलिक पार्टनर रह गये हैं और पार्टनर दिलावर सिंह की दिनांक 04 जून, 2012 को मृत्यु हो गयी है। वर्तमान में फर्म में उम्मेदपाल सिंह व विवेक कुमार मलिक पार्टनर रह गये हैं।

उम्मेद पाल सिंह,
पार्टनर,
मेसर्स डी0 एस0 कान्स्ट्रक्शन,
385/65 गऊशाला, मुजफ्फरनगर।

पी0एस0यू0पी0–43 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।